

राजस्थान सरकार
कार्मिक(ग-2)विभाग

क्रमांक:-प.11(2)का./ग-2/2013

जयपुर, दिनांक:-30.04.2014

परिपत्र


समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिक
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-2014 (निर्धारण वर्ष 2014-2015) के फॉर्म नं0 16 जारी
करने बाबत।

प्रसंग:- पूर्व सम संख्यक परिपत्र दिनांक 07.10.2013

आयकर नियमों के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु वेतन के अतिरिक्त अन्य विनिवेश यथा जीवन बीमा पालिसी/मेडिकलेम बीमा/डाक जीवन बीमा/पी.पी.एफ./एन.एस.सी./मकान किराया रसीद आदि की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रासंगिक पत्रानुसार माह फरवरी-2014 तक लेखा शाखा (राजपत्रित/अराजपत्रित) में प्रस्तुत की जानी थी परन्तु आदिनांक तक उक्त प्रमाणित प्रतियां लेखा शाखा को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आयकर परिकलन फॉर्म में दर्शाई गई विनिवेश राशि की प्रमाणित प्रतियां अविलम्ब लेखा शाखा (राजपत्रित/अराजपत्रित) में उपलब्ध करावें ताकि फॉर्म नं0 16 तैयार कर जारी किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


वित्तीय सलाहकार